न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 41 / 2021

चरनसिंह पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी नयावास कस्बा वैर जिला भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट, (सदर कानूनगो रिकार्ड रूम)

भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.06.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट चरनसिंह पुत्र सोनपाल जाति जाटव निवासी नयावास कस्बा वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2021 को प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर (सदर कानूनगो रिकार्ड रूम भरतपुर) से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 356 दिनांक 05.05.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 3744 दिनांक 03.06.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 3744 दिनांक 03.06.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन तहसीलदार तहसील वैर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया

—2

गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत तहसीलदार तहसील वैर को अन्तरित करते हुए पत्रांक 2664–2666 दिनांक 19.03.2021 से अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु तहसीलदार वैर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, भू0अभि0 अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावें।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर